उत्तर प्रदेश शासन
राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग
संख्या-20/2016/601/चालीस-2016-27(29)/92(11)
लखनऊ, दिनांकः 13 जून, 2016

विज्ञप्ति

राज्य एकीकरण परिषद का पुनर्गठन विज्ञप्ति/संशोधन संख्या-116/40-2012-27(29)/92, दिनांक 19-10-2012 द्वारा किया गया था। राज्य एकीकरण परिषद के अध्यक्ष मा0 मुख्यमंत्री जी है। उक्त विज्ञप्ति में निर्धारित व्यवस्थानुसार श्री राज्यपाल महोदय अग्रिम आदेशों तक निम्नलिखित महानुभावों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य एकीकरण परिषद का सदस्य नामित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैंः-

1- श्री मुजाहिद किदवई, बरगद हाउस, पान वाली कोठी, सिविल लाइन्स, अलीगढ।
2- मौलाना मो0 यासीन, मोहल्ला-कमनग्रान, बदायूँ।
3- श्री सरदार गुरूप्रीत सिंह उर्फ बब्बू ग्राम- नौरंगाबाद फार्म, पोस्ट-सिगाही, लखीमपुर-खीरी।
4- श्री पुष्पराज जैन 'पम्मी' मो0-दीदरगंज, कन्नौज।
5- डा0 हरिनाम सिंह वर्मा पुत्र श्री बाबूलाल वर्मा, ग्राम-हासेमऊ, पो0- असेनी, परगना- देवा, तह0-नवाबगंज, बाराबंकी।

अशोक कुमार
सचिव।

संख्या-20/2016/601(1)/चालीस-2016-27(29)/92(11).तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- श्री राज्यपाल के सचिव ।
2- मा0 मुख्य मंत्री तथा मा0 मंत्रीगण के निजी सचिवों को मा0 मुख्य मंत्री जी व मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- निजी सचिव, मा0 उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद, उ0प्र0।
5- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8- परिषद मे नामित सभी सदस्य।
9- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
10- शिक्षा अनुभाग-4 (लेखा प्रकोष्ठ)
11- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करें।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार बाजपेई
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in